हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 10 अंक : 2 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 फरवरी, 2020

Website: www.samtaandolan.co.in, **E-mail:** samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

संविधान की शपथ के उल्लंघन पर विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए: समता आन्दोलन

चार राज्यों के राज्यपालों को समता आन्दोलन की याचिकाएं

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने चार राज्यों - राजस्थान, पंजाब, केरल एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपालों को याचिकाएं लगाकर अनुरोध किया हे कि संविधान की शपथ का उल्लंघन करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए। समता आन्दोलन समिति ने अपनी याचिकाओं में अनुरोध किया है कि पिछले दिनों में यह देखने में आया है कि एक के बाद एक चार राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भारतीय संसद द्वारा बनाये गये नागरिकता कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित किये गये है।

यह बेहद दुखद, खतरनाक और असंवैधानिक कृत्य देश की एकता और अखण्डता के विरूद्ध होने के साथ-साथ देश में साम्प्रदायिक उन्माद बढाने की साजिश का एक हिस्सा है। देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने, उसके प्रति घृणा फैलाने, देश में साम्प्रदायिक अराजकता फैलाने तथा देश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करने के लिए राज्यों की संवैधानिक संस्था विधानसभा का दुराशय पूर्वक किया गया दुरूपयोग है। प्रत्येक राष्ट्रवादी लाचारी में यह देख रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए सीज-फायर का उल्लंघन करते हुये उन्हें कवरेज फायर देता है ठीक उसी प्रकार चार राज्यों की विधानसभाओं द्वारा देश में अराजकता, विखण्डन, साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने के प्रयास में लिप्त कुछ मुट्ठीभर देशद्रोही लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक शपथ एवं संवैधानिक मर्यादा को तार-तार करते हुये चार विधानसभाओं द्वारा सरे आम असंवैधानिक कार्य किया गया है। देश में दुराशयपूर्वक भ्रम फैलाया जा रहा है। राज्यों के राज्यपाल एवं राष्ट्रवादी नागरिक कुछ करने में असमर्थ और लाचार हैं। राज्यों के राज्यपालों द्वारा केन्द्रीय कानून के विरूद्ध राज्य की संवैधानिक संस्था विधानसभा द्वारा बिल पारित करने को असंवैधानिक बताया गया है तथा संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला बताया गया है।

याचिकाओं में इस प्रकार असंवैधानिक, विखण्डनकारी और साम्प्रदायिक कृत्यों में संलिप्त मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों, पार्टी व्हिप और विधायकों के विरूद्ध शपथ का उल्लंघन करने और आपराधिक कृत्य करने पर इनकी सदस्यता रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

(राज्यपालों को भेजी याचिका का मूल पाठ पेज चार पर देखे)

नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: शीर्ष कोर्ट

उत्तराखंड की अपील: हाईकोर्ट का फैसला पलटा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं है। क्योंकि यह ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जो किसी व्यक्ति को पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने के लिए विरासत में मिला हो। अदालत द्वारा राज्य सरकारों को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। यह राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है। कोई भी अदालत किसी राज्य सरकार को एससी/एसटी समुदाय को आरक्षण देने का आदेश नहीं दे सकती। यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह आरक्षण दे या नहीं या प्रमोशन में आरक्षण दे या नहीं। जस्टिस एल नागेश्वर राव व जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने यह फैसला उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को आरक्षण की अपील पर सुनाया।

अनुसूचित जाति युवक ने लगाई जनहित याचिका

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति के विधि छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि विधायिका के सदस्यों और उच्च सरकारी अधिकारियों के बच्चों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देना बंद किया जाए। नीमच जिले के विक्रम कुमार बागड़े ने जीवन में कभी भी किसी भी किस्म के आरक्षण का लाभ नहीं लिया है और वे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र है। उन्होंने याचिका में कहा है कि आरक्षण का लाभ केवल 20 प्रतिशत लोग ही उठा रहे है अत: 80 प्रतिशत लोगों के हित में इस याचिका पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका स्वीकार कर ली है।

सर्वोच्च न्यायालय का उत्तराखण्ड में पदोन्नति में आरक्षण संबधी निर्णय, और जातिवादी सांसदों का हंगामा

गरीब और दलित विरोधी जातिवादी दलों व नेताओं को सबक सिखाया जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। सर्वोच्च न्यायालय का उत्तराखण्ड में पदोन्नति में आरक्षण संबधी निर्णय आने पर संसद में जिस प्रकार जातिवादी सांसदों द्वारा हंगामा किया गया उससे क्षुब्ध होकर समता आन्दोलन समिति ने प्रधानमंत्री एवं सभी सांसदों को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में यह निर्णय दिया है कि पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के लिए कोई सरकार बाध्य नही है। यह निर्णय कोई नया नहीं है केवल इंदिरा साहनी, एम नागराज, जरनेलसिंह, रोहताश भाँखर आदि निर्णयों में दिये गये तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एवं संवैधानिक प्रावधान की ही पुनरावृत्ति मात्र है।

हमें अखबारों से एवं संसद की कार्यवाही में यह देखने को मिला है कि राहुल गांधी, चिराग पासवान आदि जैसे कुछ जातिवादी नेता और जातिवादी राजनीति करने वाले दल दलितों, पिछडों और वंचितों को दलित, पिछड़ा और वंचित बनाये रखने के दुराशय से अनावश्यक रूप से इस निर्णय को दुष्प्रचारित कर रहे है।

यह सभी जानते है कि सरकारी नौकरी में आने के बाद भी एस.सी./एस.टी के लोक सवकों को जबरदस्ती कृत्रिम रूप से पिछडा, दलित एवं वंचित मानकर पदोन्नति में आरक्षण की अन्याय पूर्ण व्यवस्था करने से ये सम्पन्न एवं स्वार्थी धनाढ्य लोग अजा/जजा वर्ग के ही वास्तविक दलितों, पिछडों और वंचितों का हक पिढ़ी दर पिढ़ी लूटते रहते है और आरक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक दलितों, पिछडों व वंचितों तक पहुचने ही नहीं देते है।

कांग्रेस ने पिछले सत्तर वर्षों में पूरे मुस्लिम समुदाय के कुछ गिने चुने स्वार्थी धनाढ्य और सम्पन्न लोगों को अपने साथ लेकर मुस्लिम समाज की 95 प्रतिशत से अधिक आबादी को अनपढ़, बेरोजगार, गरीब, वंचित और धर्मान्द बनाकर अपने वोट बैक की तरह उपयोग किया है इसी नीति पर चलते हुए वह अजा/जजा के कुछ गिने चुने स्वार्थी धनाढ्य और सम्पन्न लोगों को साथ लेकर अजा/जजा के 95 प्रतिशत से अधिक लोगों को पिछड़ा, दलित व वंचित ही बनाये रखकर इन्हें भी अपने वोट बैंक के रूप में उपयोग करते रहना चाहती है। इनके साथ आने वाले चिराग पासवान जैसे स्वार्थी लोगों को सभी जान चुके है। अब मुसलमानों एवं अजा/जजा वर्ग में भी शिक्षा का प्रसार होने लगा है और वे कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टीयों से विमुख हो रहे है।

आपकी सरकार वास्तव में दलितों, पिछडों व वंचितों कि हितेषी एवं शुभचिंतक है। अत: पत्र में निवेदन किया गया है कि असली दलितों, पिछडों व वंचितों के साथ पिछले 70 वर्षों से विश्वासघात करने वाले रामविलास पासवान, चिराग पासवान, राहुल गांधी, लालू यादव आदि जैसे जातिवादी नेताओं और इनके जातिवादी दलों को सबक सिखाने के लिए तथा देश के असली दलितों, वंचितों व पिछडों तक आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुचाने के लिए कृपया:-

(1) सरकारी नौकरी प्राप्त सभी लोगों को सामान्य वर्ग घोषित करते हुए पदोन्नति में आरक्षण की अत्याचार पूर्ण व्यवस्था को तत्काल बंद किया जावे।

(2) अजा/जजा में असली दलित, पिछडों व वंचितों तक आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुचाने के लिए सम्पन्न और धनाढ्य लोगों को तत्काल बाहर किया जावे, क्रिमिलेयर का सिद्धान्त लागू किया जावे।

अध्यक्ष की कलम से

साथियों, राहुल गांधी जी को भेजा पत्र पढे:-

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि आप द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना और किसी गैर-गाँधी राजनेता को अध्यक्ष बनवाने का प्रयास करना एक सच्चा सराहनीय प्रयास है, कृपया अटल रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार कमजोर होना किसी भी राष्ट्रवादी एवं प्रजातांत्रिक सोच के नागरिक के लिए बाहरी चिंता का विषय है। इसके अनेक कारण हैं। भाजपा के पास श्री नरेन्द्र मोदी जैसा तपस्वी और जुझारू नेतृत्व है। जमीन से जुड़े अनेक तपे हुए नेता भी हैं। देश की अनेक क्षेत्रीय, जातिवादी या साम्रादायिक आधार वाले प्रदेश स्तरीय दल भी कांग्रेस को व्यापक नुकसान पहुँचा रहे हैं।

ऐसी परिस्थितियों में हमारा आपसे देशहित में आग्रह है कि:-

(1) तृणमूल कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल करते हुए सुश्री ममता बनर्जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जावे, उन्हें कांग्रेस को मजबूत बनाने की खुली छूट दी जावे। अथवा

(2) राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जावे, उन्हें कांग्रेस को मजबूत बनाने की खुली छूट दी जावे।

दोनों में से कोई भी विकल्प पूरी ईमानदारी व पार्टी हित में अपनाया जावे। श्री राहुल जी व श्रीमति प्रियंका जी इनकी छतरछायाँ में पूरा जुझारूपन व भारतीय अनुभव अपने व्यक्तित्व में समाहित करने का प्रयास करें। जातिवादी व साम्प्रदायिक राजनीति से दूर रहते हुए विकासवादी राजनीति पर ही फोकस करें। देश के दो करोड़ लोकसेवकों व उनके परिजनों को मिलाकर दस करोड़ मतदाताओं को नाराज करने वाले पदोन्नति में आरक्षण जैसे विवादित विषयों से बचे। देश का मतदाता लगातार जागरूक हो रहा है। सादर,

सम्पादकीय

खीझ और क्षोभ का समय!

संचार कम्पनियों से हजारों करोड़ रूपयों की रिकबरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों की पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरूण मिश्रा ने क्षोभ और दुख के साथ जो टिप्पणी की है उससे देश के सभी समझदार लोग स्तब्ध हैं। अरूण मिश्रा की पीठ ने निजि संचार कम्पनियों को आदेश दिया था कि वे तुरंत सवा लाख करोड़ धन राशि सरकारी कोष में जमा करावें। इस आदेश पर सरकार के अफसर ने रोक लगाते हुए आदेश पारित कर दिया। यह सर्वोच्च स्तर की प्रशासकीय बदतमीजी थी जिसमें क्रोधित होकर सुप्रीम कोर्ट ने आजाद भारत की सबसे सख्त टिप्पणी करते हुए कहा- ''देश में कानून नहीं बचा, पैसे के दम पर हमारे आदेश रोके जा रहे हैं, कोर्ट को बंद कर दो। देश छोड़ना ही बेहतर है''-। इसके बाद सरकार पीछे हटी।

इस सारे एपिसोड में वास्तविक दोषी कौन है, यह तिलय गौण है। क्योंकि ऐसी धटनाओं से लोकतंत्र को जितना और जैसा नुकसान होता है उसका आंकलन कर पाना बेहद कठिन है। ऐसा कोई यंत्र भी नहीं जो तंत्र को भीतर से खोखला करने वाले प्रभाव को आंक सके। लोकतंत्र में संसद सर्वोपरि है और उससे ऊपर है संविधान। इस संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अन्तत: केवल सुप्रीम कोर्ट को है। अब विरोधाभास ये कि जिसे सरकार कहते हैं उसने इन दिनों अपने आप ये अधिकार ले लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का कौनसा आदेश मानना है और कौन सा नहीं। इसी संदर्भ में कोई 6-7 साल पहले समता आन्दोलन के संरक्षक रहे पूर्व डी जी पी (स्व.)अमिताभ गुप्ता ने एक अधिवेशन में कहा था- ''हमारे समय सुप्रीम कोर्ट आदेश आने का सीधा सा मतलब बस यही होता था कि उसे लागू होना हैं''- अब ये हालात बदल चुके हैं।

न केवल जात आधारित आरक्षण बल्कि अनेक दूसरे मुद्दों पर यदि सुप्रीम कोर्ट की विद्वता का विश्लेषण करें तो आभास होगा कि ऊपर वर्णित हालात कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी मंथन का इशारा करते हैं। हाल के 5-6 साल अवधि के कतिपय उदाहरण याद आते हैं। यथा अचानक देश के सामने मुख्य न्यायाधीश को रो पड़ना फिर चार-चार जजों का मुख्यन्यायाधीश के खिलाफ मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयान करना फिर पांच जजों की पीठ द्वारा पाँच जजों के संवैधानिक निर्णय को बदलना फिर मात्र दो जजों की पीठ द्वारा कुल दस जजों के निर्णय को बदल देना फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद अपने निर्णयों को नहीं मानना फिर.....फिर.....फिर.....

इस 'फिर' के चक्रव्यूह से निकलना कठिन से आगे असम्भव जैसा है। दूसरी बात ये कि देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयम को लोकतंत्र से ऊपर मान लेना और देश में सीजेआई आनन्द के समय से चले आ रहे तीन करोड़ मुकदमों का अम्बार प्राय: तीन दशक बाद भी वैसा ही दिखाई देना। दूसरी तरफ लोकतंत्र का पार्टी तंत्र में बदलते जाना। और इन सारी बातों में सबसे ऊपर सत्ता के सर्वोच्च शिखर का बार-बार आंसू बहाकर अपनी योग्यता के ऊपर असहायता का प्रदर्शन करना ? इन सब बातों का उत्तर ढूंढने के बजाय हो ये रहा है कि खीझ और क्षोभ पैदा करने वाले निर्णयों की तरफ कदम बढ़ते दीख रहे हैं। ऐसा ही एक बयान बार-बार उछाला जा रहा है कि न्यायपालिका में भी जात आधारित आरक्षण लागू किया जाये।

निजि क्षेत्र में आरक्षण की मांग इस कारण ठंडे बस्ते में चली गई कि राहुल बजाज जैसे लोगों ने सख्त और दो टूक लहजे में उसका विरोध किया। जबकि न्यायपालिका में आरक्षण की मांग का विरोध कहीं से नहीं हुआ है। साफ दीखता है कि जिन पिछड़े लोगों का पिछड़ापन दूर करने के लिये आरक्षण शुरू किया गया था उनका पिछड़ापन तो कम नहीं हुआ हाँ उनकी जनसंख्या का आंकड़ा कई गुणा बढ गया। इन जटिल, और अधिक जटिल होते जा रहे राष्ट्रीय हालातों को आखिर कौन;कैसे सरलकर पायेगा, यही मुख्य प्रश्न है।

जय समता।

योगेश्वर झाड़सरिया

अपील

''समता प्रकाश'' स्मारिका हेतु

समता आन्दोलन भारत का सबसे बडा समतावादी गैर-राजनेतिक संगठन है, जो एक दशक से भारतीय संविधान के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करवाने, सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिलाने,जातिवाद-सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से देश को मुक्त कराने के लिए सभी संवैधानिक प्रयासों को अपनाते हुये प्रजातांत्रिक रूप से क्रियाशील है। समता आन्दोलन न केवल राजस्थान अपितु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडू आदि प्रदेशों में भी जाति आधारित व्यवस्था से अलग समता मूलक समाज की संरचना के लिए काम कर रहा है।

समता आन्दोलन समिति अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अपनी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' का प्रकाशन करने जा रही है। इस स्मारिका में आरक्षण एवं समतावादी अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी, न्यायिक निर्णयों की जानकारी तथा समता आन्दोलन की 11 वर्षों की गतिविधियों की जानकारी समाहित की जावेगी। इस स्मारिका को राजस्थान सहित कुल 10 राज्यों में 5000 से अधिक प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को भेजा जावेगा। इस स्मारिका को समता आन्दोलन की वेबसाइट जिसको देखने वालों की संख्या (viewership) 5.00 लाख से अधिक हो चुकी है, पर भी स्थाई रूप से अपलोड किया जावेगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' के लिए अपनी फर्म/ कम्पनी/संस्थान का विज्ञापन देने का अनुग्रह करे। विज्ञापन दरें इस प्रकार है:-

1	मुख्य कवर का पृष्ठ भाग एवं अन्तिम कवर का बाह्य भाग रूपये 2,50,000/-
2	अन्तिम कवर का अन्दरूनी भाग रू. 1,50,000/-
3	स्मारिका के अन्दर चिकना पूरा पृष्ठ रू. 1,00,000/-
4	स्मारिका के अन्दर चिकना आधा पृष्ठ रू. 50,000/-
5	स्मारिका के अन्दर चिकना चौथाई पृष्ठ रू. 30,000/-
6	स्मारिका के अन्दर सामान्य पूरा पृष्ठ रू. 50,000/-
7	स्मारिका के अन्दर सामान्य आधा पृष्ठ रू. 25,000/-
8	स्मारिका के अन्दर सामान्य चौथाई पृष्ठ रू. 15,000/-

स्मारिका का आकार ए-4 निर्धारित किया गया है

विज्ञापन एवं विज्ञापन सामग्री के प्रारूप हेतु हमारे प्रान्तीय कार्यालय ''जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर जयपुर या पी.एन.शर्मा, जयपुर मोबाइल नम्बर 9460385722, कैप्टन गुरविन्दर सिंह, नई दिल्ली मो.न. 9999555726, धर्मवीर सिंह, हरियाणा मो.न. 9355084877, गिरजेश शर्मा, उत्तर प्रदेश 9412445629, धीरज जे. पंचाल, गुजरात मो.न. 9428600409, अशोक शर्मा, मध्यप्रदेश मो.न. 7552576022, वैंकटरमण कृष्णमूर्ति, कर्नाटक मो.न.9538966339, श्रीराम पंसारी, चण्डीगढ मो.न. 9876127663, सी.एम.डिमरी, उत्तराखण्ड मो.न. 9411103390, संजीव शुक्ला, मुम्बई मो.न. 9821390321 या ई-मेल samtaprakash2019@gmail. com पर सम्पर्क कर सकते है।

कृपया चैक/ड्राफ्ट समता आन्दोलन समिति के नाम बनवायें।

हमें विश्वास है कि आपका दिया हुआ विज्ञापन इस राष्ट्रवादी समता आन्दोलन द्वारा चलाये जा रहे समता मूलक समाज की संरचना के सफल प्रयासों में सहयोग का कार्य करेगा।

जाम्बवान फिर चाहिये

सरकारें क्या हनुमान जी की तरह बिना याद दिलाये अपने बल को याद नहीं कर पाती है? संकेत तो ऐसे ही हैं। लेकिन संकट ये है कि वो जाम्बवन कहाँ से लाऐं जो सरकार को सरकार होना याद दिलाये? सभी जानते हैं। अदालतें नोटिस जारी कर चुकी हैं फिर भी 102वां संविधान संशोधन केवल कागज की लकीर बनकर रह गया है। बल्कि अब तो खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि सरकार ओबीसी क्रीमीलेयर की सालाना लिमिट बारह लाख करने जा रही है। यह कोई गलत भी नहीं है। बल्कि तथ्यपरक है क्योंकि ईडब्ल्यूएस यदि 8 लाख तक सालाना माना जाता है तो ओबीसी के लिए 12 लाख गलत नहीं है।

मूल प्रश्न ये है कि जबकि सरकार ने 102वां संविधान संशोधन कर दिया है तो फिर उसके आधार पर बनने वाले पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना में लम्बे समय से टालमटोल क्यों कर रही है। दूसरी तरफ सरकारें ही चाहती हैं कि देश की जनता संविधान का सम्मान करें। यह विरोधाभास आखिर क्यों पैदा किया जा रहा है, जबकि शाहीन बाग दिल्ली जैसे विरोध प्रदर्शन देश में जगह-जगह हो रहे हैं और संवैधानिक सरकारें अकारण ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ देश रही है। जबकि गृहमंत्री और कानून मंत्री मीडिया पर सार्वजनिक रूप से बार-बार कह चुके हैं कि वे बातचीत करेंगे? अब सरकार को कौन याद दिलाये कि यह उसका संवैधानिक दायित्व है।

ऐसी कितनी ही दूसरी घटनाएं गिनाई जा सकती है जहाँ सरकार को सरकार होना याद दिलाने के लिए कोई नहीं है। विपक्ष तो कानूनी तौर पर है ही नहीं। जनता हमेशा ही गूंगी-बहरी रहती आई है। न्यायपालिका तो मानों खुद की ताकत भूल ही चुकी है। मीडिया प्राय: पूरी तरह बिका हुआ माना जा रहा है। इस हालातों में भला कौन है जो सरकार को सरकार का कर्तव्य याद दिलाये।

भारत भूमि पर सदियों से चाणक्य, साधु-संत, गांधी, विनोबा, अन्ना जैसी हस्तियॉ दधिची की तरह अपनी अस्मिता को गलाकर सरकार-राजा को उसके होने को याद दिलाती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसे समाज को समर्पित लोगों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। बल्कि किया जा चुका है। अब जनसेवक पुलिस को पब्लिक का पादा बना दिया गया हैं। अब सरकार को कौन याद दिलाये कि उसे बनाने वाली जनता के प्रति उसका एक संवैधानिक दायित्व है।

कल्याणकारी सरकारें कष्टकारी सरकारें बन गई हैं। कहने को देश में सरकारें हैं लेकिन उनके पास जनदायित्व के कार्यक्रम बहुत कम रह गये हैं। पार्टियॉ सरकार बनाकर अलग हो जाती हैं और सरकारें पार्टी का काम करने लगती है। हर दिन पढने सुनने को मिलता है कि फलॉ-फलॉ मुख्यमंत्री अभवा स्वयं प्रधानमंत्री अपनी संवैधानिक शपथ का मजाक उड़ाते हुये पार्टी के चुनाव प्रचार में पहुँच जाते हैं। अब उन्हें कौन याद दिलाये कि उनका काम ये करना नहीं है।

जाम्बवान एक प्रतीक है जो शक्तिशाली को लोकहित में उसकी शक्तियों को याद दिलाता है। रामायण काल से भक्तिकाल के रामचरित मानस तक इसकी प्रतिष्ठा चलती आई है। अब फिर से देश को एक जाम्बवान की आवश्यकता है।

- समता डेस्क

पौराणिक कथन : ''आकाशद्वीप''

प्राचीन समय में दीपक को एक कण्डील में रख बांस पर लटकाते थे। जो 21 हाथ उत्तम, 14 हाथ मध्यम, 7 हाथ निकृष्ट माना जाता था।

खण्ड-खण्ड पाखण्ड खोलकर,
आओ फिर इतिहास बनाऐं।
सोच समझ कर बना योजना,
जात रोग को मार भगाऐं।।

कविता

चलित-फलित बस एक बहाना

चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना।
लेकिन उनके काले मन को,
दुखी है कभी नहीं पहचाना।
वन उपवन सड़कों पर दौडे,
नंगी पीठों खाये कौड़े,
तब जाकर आजाद हुए हैं-
वो कहते है इसे बहाना।।
चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना.....।
तेल देखा धार भी देखी,
पढ न पाये भाग्य की लेखी,
समय समुन्दर ऊँची लहरें-
बैठ नाव में दूर है जाना।।
चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना.....।
ठंडी छाया निर्मल काया,
द्वेष भाव ने खूब रूलाया,
मन के भीतर घाव बड़े पर
कहा बड़ों ने मत बतलाना।
चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना.....।
कलम लेखनी स्याह सियाही,
हर दिन लगता एक तिमाही
जात पाँत का जंतर-मंतर-
चलित-फलित बस एक बहाना।।
चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना.....।
ज्यों विषदन्ती जबर नाग है,
भीतर भडकी एक आग है,
समता की ले ध्वजा पताका-
जन मन को फिर से अपमाना।।
चार युगों से अब तक जिनको,
हमने हर पल अपना माना.....।

कनिष्का शर्मा

नियुक्ति के लिए योग्यता ही एकमात्र निर्णायक शर्त

गतांग से आगे:-

सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ''हमें लगता है कि श्री (हरीश) साल्वे मामले को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हैं। निवेदिता जैन मामले में दिए गए निर्णय का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि एम.बी.बी.एस. में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम आवश्यक अर्हता अंक 50 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित था, जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह अर्हता अंक 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।''

लेकिन अपने अगले वाक्य में सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ही ऐसी बात करता है, जो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के तर्क को उपयुक्त ठहराती है-''किसी वर्ष विशेष में न्यूनतम अर्हता अंक में 5 प्रतिशत की छूट देने के बावजूद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटें नहीं भरी जा सकीं। ऐसे में सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस वर्ष विशेष के लिए न्यूनतम निर्धारित अर्हता शर्तों को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा।'' इस पर स्पष्टीकरण देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उस वर्ष विशेष के लिए ही की गई एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। कुछ आगे बढने पर इसी तरह का एक और उदाहरण देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि ''इस मामले में भी सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 50 प्रतिशत तथा आरक्षण श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। जब आरक्षित सीटों को भरने के लिए पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल सके, तभी निर्धारित अंक में छूट देकर उसे क्रमश: 40 प्रतिशत और 30 प्रतिशत किया गया। इतने छोटे से अंतर के कारण उच्च शिक्षा के स्तर में किसी प्रकार की गिरावट की बात नहीं आती।'' आज की स्थितियाँ ऐसी हैं कि विभिन्न कॉलेजों विश्विवद्यालयों, उदाहरण के लिए- दिल्ली विश्वविद्यालय, में प्रवेश के मामले में अंकों की कटौती को दशमलव बिंदु के रूप में (यानी 10 गुना महत्व का) माना जाता है। और यहाँ 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत और फिर 40 प्रतिशत से भी घटाकर 30 प्रतिशत कर देने का भी छोटा सा अंतर बताया जा रहा है।

अजय कुमार सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ''यह सच है कि न्यायालय के कुछ पूर्व के निर्णय इस धारणा पर आधारित थे कि आरक्षण वास्तव में योग्यतावाद-विरोधी है।'' उसने यह भी कहा था कि कुछ मामलों में निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि ''आरक्षण के चलते आवश्यक रूप से कम योग्य व्यक्तियों का ही चयन होता है।''

न्यायालय ने आगे कहा कि ''हम चिंतित हैं कि उस धारणा का कोई आधार नहीं है।'' और फिर सारे रास्ते साफ।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का तर्क है कि संविधान में सबके लिए, विशेषकर समाज के पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए, सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था की गई है, उसे साकार रूप देने के लिए गुणवत्ता या कुशलता के स्तर में कुछ गिरावट के रूप में कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। नीचे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई एक टिप्पणी का कुछ अंश उद्धृत किया जा रहा है, जिसे इंद्रा साहनी आदि मामलों में अकसर सामने लाया जाता रहा है-

आरंभिक नियुक्ति अथवा भरती के समय योग्यता के महत्व और प्रासंगिकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि आरक्षण की व्यवस्था के अंर्तगत कम योग्य व्यक्ति का ही चयन होता है। साथ ही,हम जानते हैं कि यदि सामाजिक न्याय के संवैधानिक आश्वासन को पूरा करना है तो हमें यह कीमत चुकानी ही होगी।

शुरूआत के शब्द तो प्रगतिवादियों को जरूर झकझोर देने वाले हैं। इसमें एक तो योग्यता के महत्व को स्वीकार गया है और दूसरी बात, एक और खुली सच्चाई की ओर संकेत किया गया है-''आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत कम योग्य व्यक्ति का ही चयन होता है।'' लेकिन इसके आगे का वाक्य एक अलग धारणा को आधार प्रदान करता है, जिसका खुलासा इन पंक्तियों में किया गया हैं-

हमारा यह भी दृढ़ विश्वास है कि इन वर्गों के अभ्यार्थियों को यदि अवसर प्रदान किया जाता है तो ये अपनी आरंभिक कमजोरियों को दूर कर खुली प्रतियोगिता (यानी सामान्य श्रेणी) के अभ्यार्थियों की बराबरी करने-बल्कि कुछ मामलों में उनसे भी आगे निकलने- में सक्षम हो जाएँगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईश्वर ने जितनी योग्यता अन्य सामान्य वर्ग के लोगों को प्रदान की है उतनी ही पिछड़े वर्ग के लोगों को भी प्रदान की है; आवश्यकता है तो उस योग्यता को सिद्ध करने के लिए अवसर प्रदान करने की। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि आरक्षण की व्यवस्था योग्यता-विरोधी है।

आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों में भी योग्यता मौजूद है; और आरंभिक भरती अथवा नियुक्ति के समय जो थोड़ा सा अंतर रहता है, वह समय के साथ-साथ गायब हो जाता है। ये अभ्यर्थी भी अन्य (सामान्य श्रेणी के) अभ्यर्थियों के साथ-साथ चलते हुए अपनी योग्यता में सुधार कर लेंगे।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए। लेकिन यदि यह बात भी मान ली जाए कि समय के साथ-साथ ये (आरक्षण-प्राप्त) कर्मचारी अपनी कमियों को दूर कर सेवा अथवा पद के लिए योग्य और कुशल बन जाएँगे तो आखिर सर्वोच्च न्यायालय इस ओर से आँखें क्यों मूँद लेता है कि वर्तमान कार्यभार का क्या होगा, जो मौके पर किया जाना आवश्यक है।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को जैसे इससे कोई लेना-देना ही नहीं है-न इंद्रा साहनी मामले में और न ही उसके बाद के अन्य मामलों में। अजय कुमार सिंह मामले में न्यायालय विश्वास और उम्मीद पर आधारित इसी धारणा को और मजबूत बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय कहता है, ''परीक्षाओं में अनुसूचित जाति आदि के सदस्यों को कोई छूट नहीं दी जा रही है। उन्हें बस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। प्रवेश पा लेने के बाद वे भी उतना ही सीखेंगे जितना अन्य सामान्य श्रेणी के छात्र सीखेंगे; इसी तरह नौकरी में लगने पर वे सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के जैसे ही प्रदर्शन भी करेंगे।''यह 'कम योग्यता' के तर्क का स्पष्ट और पूर्ण उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है, ''ऐसा कोई भी अनुभव हमारी जानकारी में नहीं आया है, जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि आरक्षण कोटे के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी अंतिम परीक्षा में प्राप्तांक के मामले में पीछे रह जाते हैं। वे भले ही अलग-अलग श्रेणियों-समूहों से आते है, लेकिन अंतत: वे एक ही वर्ग बनाते हैं।''

अपने इस कथन के प्रति स्वयं सर्वोच्च न्यायालय भी पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई नहीं देता, क्योंकि आगे उसे इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि आरक्षण के बल पर किसी पाठ्यक्रम-माना स्नातक पूर्व(अंडर ग्रेजुएट) पाठ्यक्रम-में प्रवेश पानेवाले अभ्यर्थी को अगले-या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए भी आरक्षण का ही सहारा लेना पड़ता है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि ऐसे में उन्हें पहले ही आरक्षण का लाभ मिल चुका होता है तो उन्हें अगले पाठ्यक्रम में आरक्षण कोटे के अंतर्गत छूट का हकदार कैसे बनाया जा सकता है?

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक

PETITION UNDER ARTICLE 192

Jaipur: A petition has been filed by the Samta Andolan in Courts of Governers of Punjab, West Bengal, Kerala & Rajasthan seeking constitutional sanctity. Petitions says that our humble submission that on 31-12-2019 the Assembly of the State of Madhya Pradesh has passed a resolution against the Citizenship Amendment Act-2019. News clip of Rajasthan Patrika and The Times of India dated 18-02-2020 is annexed herewith. Before this episode, Honorable Chief Minister Mr. Kamal Nath had declared categorically that CAA-2019 will not be implemented in the state of Madhya Pradesh. This is a clear disobeyance of the Indian Constitution. This is an open revolt of an elected State Govt. and some of its elected MLAs against a duly elected Central Govt. Your Goodself should have protected the Constitution and the Federal Structure of India by dismissing the State Govt. through the use of powers under Article 356.

The above action of the Head of State Govt and some of elected MLAs of State Assembly is extremely painful, dangerous, unconstitutional, against the unity and integrity of the nation and a part and parcel of the conspiracy to aggravate the communal disharmony. This is an intentional and malafide misuse of state Assembly against the duly elected central Govt. by making it unstable, to spread hatred against the duly elected central Govt., to spread communal riots in the country and to make our country unnecessarily shameful in the international arena. Crores of nationalist citizens are watching this dirty game helplessly. As Pakistan Army gives coverage fire to facilitate the illegal entry of trained terrorists on borders, in the same way the state Assemblies (through passing unconstitutional Bill against Central Govt. by breaching the oath of office and violating constitutional provisions) are being misused to give protection to some handful of anti nationals engaged in activities like anarchy, disintegration, spreading communal hatred etc. Constitutional experts are also of the view that passing of Bill by a state Assembly against a central ACT is a prima-facie unconstitutional act and if it is not stopped immediately, it will lead to the disintegration of the country.

It is an open fact that the acts of Honorable Chief Minister Mr. Kamal Nath, Honorable Speaker Mr. Narmada Prasad Prajapati, Honorable Chief whips of different partys and all the MLAs voting in favour of the above unconstitutional Bill against CAA-2019 are categorically in violation of oath of office taken under Article 173 and 188 in accordance with format given in proviso
VII-A and B of Schedule-3. It is also in violation of Art. 5 to 11 and 246 of the Constitution. Constitutional duties mentioned in Article 51A(a),(c) and (d) are also violated. It is absolutely essential that such type of public representatives should he brought to book. Their membership should he terminated immediately and they should be punished under relevant sections of the Indian penal code.

We can say after reading out the various judgments passed by Honorable Supreme court and different High Courts on the sanctity of oath of office that in all these Judgments the judiciary has taken it very seriously and has termed the violation or the breach of constitutional oath of office as a " betrayal of faith" and has categorically directed that "breach of oath requires a termination of the tenure of office." It has also been observed repeatedly that under Article 102, 103, 191, and 192 the President of India or the Governor of State is the competent authority respectively for the termination of membership of MP or MLA. In this regard, the judgment given by the full bench of Madhya Pradesh High Court on 19 August 1985 in the matter of K.C. Chandy v/s R. Balakrishna Pillai is completely relevant. Kindly have a perusal of binding directions given in Para-7 and 9 of the Judgment:-

Para-7 "Breach of oath may thus be a betrayal of faith. The appointing authority. the Governor, in such cases, can consider whether there was, in fact, any breach of oath. It is not for this Court to embark on any such enquiry."

Para-9 "Breach of oath requires a termination of the tenure of office. This power can be exercised by the appointing authority under the Constitution, and according to the procedure, if any, prescribed therein. The termination of that tenure is not the function of a court; and it would not be appropriate to exercise jurisdiction under Article 226 in such cases. Proceedings under Article 226 in such cases do not lie."

The above judgment has been again completely approved by the same Karala High court on 24-11-2017 in the matter of Alappey Asharaf V/s Chief Minister and others.

Your goodself may also have perusal of the following leading judgments of the Honorable Supreme Court. Binding directions and observations of the Apex Court in these judgments will certainly help your goodself in making up your mind that:-

(a) Your goodself is constitutionally duty bound to take a decision on the above complaint, and

(b) Your goodself is constitutionally duty bound to take an advice of the Election commission of India in this regard.

Cases-

1. B.R. Kapur v/s state of T.N. and another (2001) 7 SCC 231
2. Amarinder Singh v/s special Committee, Punjab Vidhan Sabha and others (2010) 6 SCC 113
3. Brundaban Nayak v/s Election Commission 12-02-1965 AIR 1892, 1965 SCR (3)53 any citizen is entited to complain. -Const. Bench
4. Election commission of India & Another v/s Dr Subramaniam Swamy and another 23-04-1996 CAN0504 (NC) 1994.
5. Election Commission of India v/s N. G. Ranga 1978 AIR 1609, 1979 SCR (1) 210. -Const. Bench

PRAYERS

On the basis of the above submissions, our prayers are-

(A) Kindly take an action and terminate the membership of all MLAs including CM, Speaker of Assembly and Chief whips of different Parties who have breached their Oath of office by managing and voting against CAA-2019 on the floor of the House.

OR IN THE ALTERNATIVE,

(B) Kindly take an action and terminate the membership of the :-

(i) Chief Minister MR. Kamal Nath who has breached the Oath of office by openly declaring that the Govt. of Madhya Pradesh will not permit the CAA-2019 to be implemented in the State and further by managing in all manners the passing of a Bill against the CAA-2019 in the Assembly,

(ii) Speaker MR. Narmada Prasad Prajapati who breached the Oath of office managing in all manners the passing of a Bill against the CAA in the Assembly,

(iii) Chief whips of diffrent Parties in the State Assembly who breached the Oath of office by managing the consent of all the MLAs on the bill against the CAA-2019, using duress of action under Anti Defection Act, through issuance of whip.

OR IN THE ALTERNATIVE,

(C) Kindly take an action and terminate the membership of Mr. Kamal Nath Chief Minister, who has breached the Oath of office by openly declaring that the Govt. of Madhya Pradesh will not permit the CAA-2019 to be implemented in the State and further by managing in all manners the passing of a Bill against the CAA-2019 in the Assembly.

- SAMTA DESK

'संविधान बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे'

चंडीगढ़ समता आंदोलन समिति के पीजीआई प्रकोष्ठ के सदस्यों की एक मीटिंग रविवार को हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण ने हिस्सा लिया। बैठक के सुप्रीमकोर्ट की ओर से हाल में की गई टिप्पणी 'प्रमोशन में आरक्षण देना कोई मौलिक अधिकार नहीं है' का समर्थन किया गया। बैठक में शामिल सदस्यों ने कहा कि जो पार्टियों इसका विरोध जता रही हैं, वह निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए केंद्र सरकार पर अध्यादेश लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसमें कई पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। सभा में इन बयानों की कठोर शब्दों में

निंदा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सम्मान और संविधान बचाने के लिए सडक पर उतरकर आंदोलन शुरू करेंगे। इस मौके पर राम पंसारी, अमित कुमार गौतम, सुशील मेटरिया, सत्यवीर सिंह व सुरेंद्र सिंघानिया सहित कई लोग मौजूद रहे।

दीवाली से पहले दिल्ली में समता की बड़ी रैली का संकल्प

पटियाला। जनरल केटेगरी फेडरेशन के कार्यकर्ताओं के साथ समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विस्तार से चर्चा की। सभी को दीवाली से पहले दिल्ली में होने वाली बड़ी रैली के लिए सहयोग का आव्हान किया गया। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ समर्थ का आश्वासन दिया।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in